रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

13वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनायें

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –15 ● कानपुर 1 से 15 अगस्त 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं

राज्य सरकार बनायें कानून – केन्द्र

- भारत सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिली हरी झण्डी
- राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में कानून बनाने के लिये स्वतंत्र
- अब इहमाई लायेगी राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों में तेज़ी

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) द्वारा डा0 बी0 एम0 कटोच पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की 27 मई, 2019 की संस्तुतियों को 3 जुलाई, 2019 को सरकार द्वारा जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं है तथा राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसके लिए कानून बना सकती हैं उन्होंने यह भी कहा है कि मापदण्ड पूरे होने पर केन्द्र सरकार इसे मान्यता प्रदान कर देगी।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है राज्य सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए पहले ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर चुकी है, इस शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा भी क्रमशः 2 सितम्बर, 2013 एवं दिनांक 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री विजय वर्मा संयुक्त सचिव विधिक मामलात, कानून एवं न्याय मन्त्रालय, डा0 भूषण पटवर्धन वाइस चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन, डा0 राजा बाबू पनवार कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसेज, डा0 दर्शन शंकर कुलपति ट्रान्स डिसिप्लिनेरी यूनिवर्सिटी बंगलूरू, वैद्य गोविन्द वाई खाती, डीन– आर0 ए0 पोदार मेडिकल कालेज (आयुष) महाराष्ट्र सरकार मुम्बई, श्री रजत घटोपाध्याय प्रेन्सिपल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर दि कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल पश्चिम बंगाल सरकार, श्री डी0 बी0 के0 राव उप सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली, डा0 एल0 स्वास्तिवरन सीनियर सी0 एम0 ओ0 डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, मो0 मुकीम उप विधि सलाहकार कानून एवं न्याय मन्त्रालय, डा0 एस0 पी0 शानी डिप्टी ड्रग्स कन्ट्रोलर (भारत)।

डा0 कुलदीप तिवारी, डा0 प्रीति मनचन्दा एवं श्री अनिल वर्मा नई दिल्ली, डा0 अजीत सिंह पंजाब, डा0 ए0 पी0 गौर्या पश्चिम बंगाल, डा0 बाहुबली शाह एवं डा0 सुरेश बाबू केरल, डा0 संजीव शर्मा हिमांचल प्रदेश, डा0 कमलाकान्त नायक ओडीशा, डा0 के0 ए0 बख्शी आन्ध्रप्रदेश, डा0 आर0 पी0 शर्मा उत्तर प्रदेश एवं डा0 दीपक सिन्हा कानपुर आदि सम्मिलित थे।

इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्यों/संचालकों की एक बैठक बोर्ड के कार्यालय लखनऊ में आयोजित की गयी जिसमें गम्भीर विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिये तत्पर है, यह दुर्भाग्य है कि समिति के समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो भी विद्वान उपस्थित हुये उन्होंने सूचनाओं एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में संकोच किया या किसी रणनीति के तहत इन्टर – डिपार्टमेन्टल कमेटी को साक्ष्य एवं सूचनायें उपलब्ध नहीं करा पाये, यह तो इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के समक्ष उपस्थित प्रपोज़लकर्ता ही वास्तविकता बता सकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं उपलब्ध कराया, कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रपोज़लकर्ताओं को सुनने के पश्चात अपनी जो टिप्पणियां की हैं वह पूर्ण रुपेण सकारात्मक हैं जहाँ कुछ सदस्यों ने अनुसंधान हेतु धनराशि (फन्डिंग) की बात भी कही है वहीं कुछ सदस्यों ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अपने संस्थानों में काम का अवसर देने की भी बात की है, ऐसे सदस्यों का यह भी मत है कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी को वांछित आंकड़े (डेटा) स्वतः उपलब्ध हो जायेगा जिससे इस महत्वपूर्ण जनोपयोगी चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी मान्यता प्राप्त हो जायेगी।

बैठक में रायबरेली के डा0 प्रताप नारायण कुशवाहा, सिरसागंज (फिरोजाबाद) के डा0 इसरार अहमद, इटावा से डा0 मो0 एखलाक, वलीदपुर (गऊ) से डा0 अयाज अहमद, लखीमपुर से डा0 आर0 के0 शर्मा, हमीरपुर से डा0 नरेन्द्र भूषण निगम, शहजहाँपुर से डा0 अम्मार बिन साबिर, शाहाबाद (हरदोई) से डा0 आमिर बिन साबिर, महाराजगंज से डा0 प्रिंस श्रीवास्तव, बहराईच से डा0 भूप राज श्रीवास्तव, जालौन से श्री कुलदीप सिंह व श्री ललित पटेल, सिकन्दराराव (हाथरस) से श्री मुस्ताकीम अहमद एवं श्री शाकिर हुसैन सम्मिलित हुये।

बैठक में विशेष आमंत्रित इहमाई के संयुक्त सचिव श्री निथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा वांछित सूचनाओं एवं साक्ष्यों को उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर इहमाई शीघ्र ही पूर्ति करायेगी।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों की विशेष बैठक में उपस्थित प्रचार्य एवं संचालकगण – छाया गज़ट

भारत सरकार मान्यता देने को तत्पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिये सरकार इस समय कितनी गम्भीर है इसे आप स्वंय आंकलन कर सकते हैं कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 को एक नोटिस जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बंधितों से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जा सके, इस हेतु सरकार ने एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन पूर्व स्वास्थ्य सचिव एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में किया था, इस समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त विधि एवं कानून मंत्रालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, विशिष्टता प्राप्त देश के नामचीन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नीति आयोग, औषधि नियंत्रण विभाग तथा महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर तक प्रपोज़ल दिये जाने थे इसके अनुसार बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं एक वृहद मात्रा में प्रपोज़लों का अम्बार लगा दिया गया जिसे छांटने के बाद मात्र 29 प्रपोज़लों को स्वीकारा गया, इनके परीक्षण के पश्चात कुछ और प्रपोज़लों को बाहर कर दिया गया, प्रपोज़लों में आपस में भिन्नता न होने के कारण प्रपोज़लकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे आपस में ताल–मेल कर एक छोटी समिति बनालें जो इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी को सार बता सके इस हेतु एक नया संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल भी प्रस्तुत करें, इस हेतु प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा निरन्तर प्रयास जारी रहा, इसी मध्य माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एक और प्रपोज़ल पर विचार करने हेतु सरकार को निर्देशित किया गया सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये प्रपोज़लकर्ताओं को पुनः पत्र जारी कर निर्देशित किया कि याची जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है उसे भी समाहित करते हुये पुनः नया प्रपोज़ल प्रस्तुत करें, इसके लिये एक निर्धारित समय सीमा का भी निर्धारण किया गया (पाठक यहां यह सोचें कि प्रपोज़ल देने में ही कितनी उठापटक आपस में ही होती रही जिसको अवसर नहीं मिला उसने कोर्ट का सहारा तक ले लिया) प्रपोज़लकर्ताओं के समूह द्वारा निर्धारित समय सीमा में नया संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जिसपर कमेटी द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त अन्ततः 27 मई, 2019 को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को समस्त सम्बंधित को सूचनार्थ भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) ने 03 जुलाई, 2019 को जारी कर दी।

रिपोर्ट को प्रथम दृष्टयः देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने के लिये तत्पर है, कमेटी के समक्ष प्रपोज़लकर्ताओं ने समिति को बताया कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से पाँच लाख चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय कर स्वयं स्वरोज़गार के साथ–साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं, सुदूर एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सामान्यतयः चिकित्सक जाने से कतराते हैं वहाँ पर भी यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक प्रसन्नतापूर्वक अपनी सेवायें प्रदान कर गरीबों एवं ज़रुरतमन्दों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा रहे हैं।

प्रपोज़लकर्ताओं ने कमेटी को बताया कि यह पाँच लाख चिकित्सक 10 कांउसिलों/बोर्डों द्वारा सम्बद्ध एवं संचालित कालेजों द्वारा शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं किन्तु कमेटी को सम्बंधित काउंसिलों/बोर्डों एवं इनसे सम्बद्ध कालेजों/संस्थानों की सूची उपलब्ध नही करायी गयी या तो प्रपोजलकर्ताओ के पास सूची नहीं थी या फिर सूची उपलब्ध नहीं कराना चाहते थे क्योंकि प्रपोज़लकर्ताओं के समूह में कुछ ऐसे सदस्य थे जो बोर्ड/काउन्सिल/ कालेज/ संस्थान से सम्बन्ध रखते हैं तो फिर सूची न उपलब्ध कराने क्या कारण था ? यह तो वही बता सकते हैं किन्तु देश में संचालित संस्थानो को अपनी स्थिति बतानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल।

हमें समझना चाहिये कि पूर्ण जानकारी दिये बिना मान्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है ? जब तक सरकार को वांछित जानकारी नहीं दी जायेंगी तब तक सरकार आपको मान्यता कैसे देगी ?सरकार तो देने के लिए तत्पर है ! अब हमें ही पूर्ण एवं ठोस जानकारी देनी है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मान्यता के लिये इहमाई ने बनायी राष्ट्रीय कार्ययोजना

(इलेक्ट्रो होम्योपैथ ध्यान दें!)

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा 28 फरवरी, 2017 को जारी नोटिस के अनुसार मान्यता हेतु निम्न पर विचार करना था–

The terms of reference and scope of work for the committee will be as under:

a) To invite via website, proposals/ suggestions from various stake holders/ public / supporters/ promoters of alternative systems of medicine, seeking recognition to any new sysytem(s) of medicine also calling for from them relevant documents / literature with respect to origin and history of such systems including stages of its development and research works on it etc. indicating the clinical applicability, efficacy and above all, safety of such alternative systems, list of institutions providing teaching/ trainings on that system/mode of therapy, curriculum, lists of experts, published documents available in public domain etc.

b) To analyse and examine each such application/ proposal and take a decision in respect to viability of notifying the alternative system, and

c) To make recommendations to the Central Government for inclusion of any such system(s) in the list of viable systems of alternative medicine. While doing so, the committee would also suggest suitable course/ curriculum/ regulatory body for each such system.

समिति द्वारा नोटिस के संदर्भानुसार 31 मार्च तक प्राप्त प्रपोज़लों का परीक्षण करने के पश्चात 13 जून को प्रपोज़ल आपत्तियों सहित प्रपोज़ल– कर्ताओं को मूल रुप में वापस करते हुये उन्हे निर्देशित किया गया कि उन्हें उचित ढंग से तैयार कर पुनः प्रपोजल प्रेषित करें, प्रपोज़ल भेजने का क्रम निर्धारित क्रम के अनुसार 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर तक भेजने का सिलसिला जारी रहा, मंत्रालय द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की बैठक दिनांक 9 जनवरी, 2018 को सम्पन्न हुयी जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर लगभग सभी प्रपोज़ल अस्वीकार की स्थिति में थे इसी कारण कमी समूह में आने की बात हुयी तो कमी संयुक्त प्रपोज़ल के रुप में अन्ततः संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल की मांग की गयी प्रस्तुत सभी प्रपोज़लों पर विचार करने के पश्चात इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की कार्यवाहियां जो सामने आयीं उससे स्पष्ट संकेत यह मिला कि प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा सुसंगत ढंग से प्रपोजल प्रस्तुत नहीं किया गया जो समिति की अद्यतन बैठक दिनांक 27 मई, 2019 की कार्यवाही से स्वतः स्पष्ट है।

हालाँकि समिति ने अपनी संस्तुतियों में स्पष्ट किया है कि वर्तमान नीति के अनुसार भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं लगाना चाहती है, अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड पूर्ण होने पर सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान कर देगी, इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बना सकती हैं।

इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि प्रपोज़लकर्ताओं ने नोटिस के संदर्भ के अनुसार व्यवहार नहीं किया, वांछित सूचनायें एवं साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये, इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी ने जिन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया था उपस्थित समूह में से अधिकाधिक सदस्य समुचित जानकारी व साक्ष्य उपलब्ध करा सकते थे केवल इतना ही नहीं अपितु कार्य स्थलों का भौतिक सत्यापन तक करा सकते थे इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया ! यह तो वे ही जान सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने इस विषय में गम्भीर विचार–विमर्श के बाद यह निश्चिय किया था कि न तो उसे कोई प्रपोज़ल देना है और न ही कोई मध्यस्थता, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को ऐसा निर्णय आने की पहले से ही आशा थी इसलिए प्रकरण पर वह अपनी पैनी दृष्टि अवश्य रखे थी और समय समय पर प्राप्त जानकारियों की समीक्षा के लिये बैठकें भी करती रही, इसी अवधि में एक समय ऐसा भी आया कि जब भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा उसका दृष्टिकोण जानने के लिये पत्र लिखा गया जिसके उत्तर में मंत्रालय द्वारा 21 दिसम्बर, 2017 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाई) के महासचिव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि विभाग का दृष्टिकोण आज भी भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 जून, 2011 के ही अनुरुप है।

21 जून, 2011 का यह वही आदेश है जो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इहमाई के नाम जारी किया है जिसमें देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों को निदेर्शित किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के सम्बंध में इस आदेश को केन्द्र सरकार का निर्देश माना जाये।

इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा वांछित सूचनाओं एवं साक्ष्यों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया बहुत पहले से ही कार्य कर रही है एसोसिएशन के पोर्टल www.behm.org.in./ ehmaoi पर आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध हैं उनको देखकर स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, आवश्यकतानुसार उनको उपयोग में भी लाया जा सकता है।

अपने व्यवहार एवं कुशल नेतृत्व के कारण ही इहमाई सदैव ऐसे समय पर सामने और आगे बढ़कर कार्य करती है क्योंकि एसोसिएशन को भारत सरकार और न्यायालयों से पर्याप्त आदेश प्राप्त हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पदाधिकारियों ने एक बैठक में निर्णय लिया है कि वह पूरे देश में साहित्य सृजन, बोर्डों/ काउन्सिलों, औषधि निर्माताओं आदि से सम्पर्क कर भारत सरकार द्वारा वांछित मापदण्डों को पूर्ण करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुये तथा उनकी सहभागिता निश्चित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने में अपना भरसक प्रयास करेगी, ऐसा विश्वास है कि एसोसिएशन ऐसा कर पाने में निश्चित तौर पर सफल होगी।

आशा है कि मापदण्डों की पूर्ति होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता अवश्य प्रदान की जायेगी।

Quality Control and Standardization of Electro Homoeopathic Drugs

By : Dr. Anand Prasad Maurya - Kolkata (West Bengal)

*Quality control is total procedure for providing the standard medicines to the patients. QC is not only a laboratory procedure, but also the procedures through which a raw material is transformed to a drug and the finished product till it is used by the patient. One of important function of QC dept is to establish specifications for * Raw materials, * Packing materials, * Intermediates and * Finished products to assure the quality.*

APEX BODY of quality control and standardization

In India there is no Apex Body of quality control and standardizasion of Electro Homeopathic Medicines under the Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Recognized by the Dept. of Science and Technology, G.O.I. as Scientific, Technological and Research Institution Recognized as Central Drugs Laboratory – for testing of Electro Homeopathic drugs under any Rule, under any section of Drugs & Cosmetics Act. Functioning as STANDARD setting – cum-drug testing laboratory at National level.

Electro Homoeopathic Pharmacopoeia India

Since till now not any pharmacopoeia committee is formed by the Govt. we are have compiled and published in the form of:-

"1st Volume of Proposed and Un official Electro Homoeopathic Pharmacopoeia" by Dr. A.P. Maurya on the basis of GHP and is under process. Hence we follow the standardardisation method as prescribed in GHP under the process of Spagyric.

1st Volume of Proposed and Un official Electro Homeopathic Pharmacopoeia published in 2014 contains detail of MONOGRAPHS of 115 drugs.

MONOGRAPH OF EACH DRUG CONTAIN

- ✓ **Details for identification**
- ✓ **Details for collection**
- ✓ **Part to be used**
- ✓ **Method of preparation**
- ✓ **Assessment of purity**
- ✓ **Limits of impurity**

For Quality Controls and Standardization – Pay attention during

1. Sampling of raw materials
2. Identification of adulterants
3. Comparison with standards and analyzed
4. Testing of purity
5. Manufacturing
6. Processing
7. Different methods of preparation
8. Utensils
9. Machinery
10. Analysis of finished products
11. Manufacturing area
12. Monitoring industrial waste
13. Packaging
14. Storing
15. Dispensing,
16. Handling and packaging of medicines while dispensing, the shelf in the physicians clinic.

The patients methods of usage of medicines in the patients wardrobe till the patients consume the medicine.

Aim :- Quality control is total procedure for providing the standard medicines to the patients. Quality control for efficacy and safety of Electrohomeopathic products is of paramount importance.

Introduction:-

Quality can be defined as the status of a drug that is determined by identity, purity, content, and other chemical, physical, or biological properties, or by the manufacturing processes. Quality control is a term that refers to processes involved in maintaining the quality and validity of a manufactured product.

In general, quality control is based on three important pharmacopoeia definitions:

☞ **Identity:** Is the herb the one it should be? ☞ **Purity:** Are there contaminants, e.g., in the form of other herbs which should not be there?

☞ **Content or assay:** Is the content of active constituents within the defined limits?

There are two types of Standardization

1. In the first category, "true" standardization, a definite phyto-chemical or group of constituents is known to have activity. For Example : Strychnos nux-vomica L. (Loganiaceae) is a deciduous tree that grows in tropical areas and is distributed throughout India and Southeast Asia. The dried seed of this plant S. nux vomica has been applied clinically in Chinese medicine for hundreds of years. S. nuxvomica is a non edible tree with a strong content of two poisonous alkaloids, strychnine and brucine. S. nux-vomica which belongs to the family loganiaceaalso called Kanjiram is a medium-sized tree. Other names of S. nux-vomica are Kanjiram, Kuchla, Kupilu. Phytochemical analysis revealed the presence of alkaloid, carbohydrate, tannin, steroid, triterpenoid and glycoside in the extract. Seeds of Nux vomica used as nervine tonic, alexiteric, aphrodisiac, anthelmintic, digestive, purgative and stimulant. Detoxified S. Nux vomica seeds used in various Ayurvedic drugs like Agnitundi vati, Navjeevan Rasa and vishatinduka vati as an important ingredient. In Unani as Azaraqi. This study presents a review on the Phytochemical and Medicinal properties of S .nux vomica L.

These products are highly concentrated and no longer represent the whole herb, and are now considered as phyto pharmaceuticals. In many cases they are vastly more effective than the whole herb.

2. The other type of standardization is based on manufacturers guaranteeing the presence of a certain percentage of marker compou*nds; these are not indicators of therapeutic activity or quality of the herb.*

Strict guidelines have to be followed for the successful production of a quality drug.

Parameters for Quality Control and standardization of Drugs

*** Of raw materials** *** Of manufacturing process** *** Of finished products** *** Of storage and packaging**

Raw marital

1. Medicinal

Herbs only

2. Non medicinal (vehicles) Alcohol, Lactose ,Sugar ,White petroleum jelly , Maize starch , Coconut oil, Wax

The quality of raw materials are ascertained and standardized referring GHP. In case of raw material resources it is mandatory to follow the guidelines of

GAP– Good Agricultural Practices **GHP**- Good Harvesting Practices **GLP**- Good Laboratory Practices

Incoming raw material Transfer

✓**STORE** ✓ **Sampling** ✓ **Identification** ✓ **Analysis** ✓**Purity testing** ✓**Manufacture**

Of manufacturing process

a) Manufactury b) Equipments c) Inspected d) Assessed e) Control of microbial contamination f) Finished Products

Of finished products :- ✓ **Finished products** ✓ **Representative samples analysed** ✓ **Documented**

Packaging and labeling :- Rule 106-A : of Drugs & Cosmetics Act has been followed

Electro Homoeopathic medicine : Name of Medicine Composition percentage of each spagyric of composed plant

1. Pharmacopoeia name as given : German Homoeopathic Pharmacopoeia **2. For other drugs, Descriptive name**

a. Potency in decimal, Name and address of Manufacturer or seller.
b. Alcohol percentage in volume, for packing bigger than 30 ml.,
c. Batch No. and Manufacturing license No.
d. Single ingredient shall not bear proprietary name on its label.

As per RULE 106-B of Drugs & Cosmetics Act has been followed

Electro-Homoeopathic medicine having more than 12% Alcohol shall be packed in 30 ml only.
Electro-Homoeopathic medicine having less than 12% Alcohol shall be packed in 100 ml only.

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

(स्वास्थ्य एवे परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)
8– लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा० कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

M.B.E.H. तीन वर्ष – इण्टरमीडियेट जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत, सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पक करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	Dr. M.A. Idrisi, 9451274526
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9935870799
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
10	Electro Homoeopathic Medical Insitute Jalaun, 2/55 Awas Vikas Colony, Jalaun	Dr. Savitri Devi	Kuldeep Singh, 9451542329
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
12	Mau Electro Homoeopathic Medical Insitute, Prem Nagar Chakiya(Chiraiya Kot Road), Mau	Dr. Ramesh Upadhyay	Dr. Iftekhar Ahmad,9616675062
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 9415758906
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmarshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Ri	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	9415669294
18	Bundel Khand Electro Homoeopathic Medical Institute, Campus Shri Lakhan Smarak Kanya Jr.H. School 1363 Y-4 Dhobin Pulia, Hanumant Vihar, NaubastaKANPUR	Dr. Pramod Kumar singh 9307199994	Mr. Rahul Bajpai, 9650466359

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9936131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
54	Dr. Hari Singh	Nagla ParamSukh, Etmadpur	AGRA	9359350670	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	7007352458	
58	Dr.Brajesh Kumar Sharma	Shanti Devi Electro Homoeopathic Study Centre, Borna	ALIGARH	9416855688	Dr. Ram Babu Singh 9416855688
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	9936769580	mpsr31@gmail.com
65	Smt. Varsha Patel	Banarsi Dham, Bindki	FATEHPUR	8853961545	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
93	Dr. Rajesh	Garh Mukteshwar	HAPUR	8958961964	

Registrar